IT related announcements in the Budget Speech 2012-13

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताः

58. अनुसूचित जाति (SC) के छात्रावासों में निवास कर रहे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर सीडी एवं इंटरनेट के माध्यम से गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में अध्यापन करवाया जायेगा।

अल्पसंख्यक कल्याणः

64. मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चालू वर्ष में मदरसों हेतु 500 कंप्यूटर पैराटीचर्स एवं 3 हजार 500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की गई। आगामी वर्ष भी मदरसों हेतु 1 हजार कंप्यूटर पैराटीचर्स तथा 1 हजार शिक्षा सहयोगियों की भर्ती करने की, मैं घोषणा करता हूँ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजः

87. माननीय सदस्यों को विदित है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि से हमनें 2 अक्टूबर 2010 को 5 महत्त्वपूर्ण विभागों को फण्ड्स, फंक्शंस एवं फंक्शनरीज़ के साथ इन संस्थाओं को हस्तांतरित किया था। इन हस्तांतरित विभागों की जिम्मेदारी के साथ–साथ पंचायती राज संस्थायें कई महत्त्वपूर्ण योजनायें भी क्रियान्वित कर रही हैं, जिनमें महात्मा गांधी नरेगा योजना भी शामिल है। अतः पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न संवर्गों के 23 हजार से अधिक पद सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक–एक कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जायेगा, ताकि विभिन्न योजनाओं की मोनिटरिंग एवं

लेखा संधारण इत्यादि में सुविधा हो सके, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

सहकारिताः

108. राज्य की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से सीधे जोड़कर Anywhere Banking की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोर बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जायेगी। आगामी वर्ष, इस कार्य के लिए, 25 करोड़ रुपये का अनुदान देना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, पेंशनर्स को निःशुल्क दवा वितरण में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से कॉनफेड व उपभोक्ता भंडारों के कंप्यूटराइजेशन हेतु राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड से 7 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

116. पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटराइजेशन किया जायेगा। कंप्यूटराइजेशन पर लगभग 20 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा।

श्रम एवं रोजगारः

119. इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम तथा आर.के.सी.एल. के माध्यम से विशेष दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 75 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

121. रोजगार कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ते हुए, राज्य में इलेक्ट्रोनिक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की भी स्थापना की जायेगी, ताकि युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिलवाने तथा समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेलों के आयोजन के साथ–साथ अन्य स्थानों पर भी रोजगार विभाग की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संभागीय स्तर पर मोबाईल वैन उपलब्ध करवाई जायेगी।

शिक्षाः

127. विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य हेतु, 'कल्प योजना' (Computer Aided Learning Programme) के अंतर्गत 7 हजार 310 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष, एक हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 16 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से कंप्यूटर स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किये जायें। राज्य में लगभग 24 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से लगभग 12 हजार विद्यालयों में ही पुस्तकालय की सुविधा है। शेष सभी 12 हजार विद्यालयों में भी पुस्तकालय स्थापित करना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम पर लगभग 16 करोड़ रुपये का ख़र्च प्रस्तावित है।

128. 'राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना' लागू करना प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट के अनुसार, प्रथम 10–10 हजार बालक–बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में लैपटॉप दिये जायेंगे। साथ ही, प्रदेश के समस्त 24 हजार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्रत्येक विद्यालय में आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, अर्थात कुल 24

हजार विद्यार्थियों को 'विशेष लर्निंग लैपटॉप्स' पुरस्कार के रूप में उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इस योजना के क्रियान्वयन पर आगामी वर्ष लगभग 70 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

तकनीकी शिक्षाः

137. गत बजट घोषणा के अनसरण में कोटा में आईआईआईटी (ट्रिपल आई.टी.) स्थापित करने हेतु शहर के संस्थानिक क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि आरक्षित कर दी गई है तथा इस संस्थान की स्थापना की 128 करोड रुपये की लागत में से 35 प्रतिशत राशि अर्थात 45 करोड़ रुपये का अंशदान उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा सहमति भी दी जा चुकी है। इस संस्थान की स्थापना हेतु निजी निवेशकों का चयन कर लिया गया है जो कि लागत का 15 प्रतिशत अंशदान देंगे।

140. English Language Lab तथा Library Computerisation and Digital Library हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित अभियांत्रिाकी महाविद्यालयों (Engineering Colleges) को 40–40 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

उच्च शिक्षाः

145. सभी 142 राजकीय महाविद्यालयों में आगामी तीन वर्षों में अंग्रेजी भाषा लैब एवं पुस्तकालयों का कंप्यूटराइजेशन करवाने के लिए चरणबद्ध रूप से प्रत्येक महाविद्यालय हेतु 20–20 लाख रुपये उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचारः

155. सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) हेतु आधारभूत संरचना के विकास में निरंतर प्रगति करते हुए हमारा प्रदेश राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर स्थापित करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न सेवायें ऑन–लाइन उपलब्ध करवाने हेतु ई–मित्र व सीएससी नेटवर्क में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं में मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत व आय प्रमाण पत्र, परिवहन निगम की टिकिटों की बिक्री एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं इत्यादि से संबंधित विभिन्न सेवायें शामिल हैं। सुगम एकल खिड़की के माध्यम से अब तक इस वर्ष लगभग 26 लाख लोगों को विभिन्न सेवायें प्रदान की गई हैं।

156. नागरिकों को विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने में कॉल सेंटर एक महत्त्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुआ है। वर्तमान में अनेक राजकीय विभागों एवं राजकीय उपक्रमों ने अपने कॉल सेंटर स्थापित कर रखे हैं। मैं यह घोषणा करता हूँ कि आगामी वर्ष एक एकीकृत कॉल सेंटर की स्थापना की जायेगी जिसके द्वारा विभिन्न विभागों की सेवायें एक ही टेलीफोन नंबर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

157. राज्य में I.T. की सहायता से विभिन्न विभागों की अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। साथ ही, I.T. विभाग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारियों के 750 पद सृजित किये जायेंगे।

158. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय में प्रायोगिक तौर (experimental basis) पर बायोमैट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यह

व्यवस्था चरणबद्ध रूप से सचिवालय के साथ–साथ जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य राजकीय कार्यालयों में लागू की जायेगी।

राजस्वः

208. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि भू–अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अब इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। भू–अभिलेख कंप्यूटरीकरण के तहत राज्य के समस्त गाँवों की जमाबंदियों के कंप्यूटरीकरण के पश्चात् अब पटवारियों को डिजिटल सिगनेचर कार्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे। पटवार हलके में जमाबंदी को आदिनांक करने के पश्चात्, तहसील स्तर पर तैयार की गई जमाबंदियों एवं नामांतरणों का अमल करवाकर, डिजिटल सिगनेचर्स शुदा जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, आमजन को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो पायेगी। इस हेतु I.T. के आवश्यक तंत्र की क्षमता में उचित वृद्धि की जायेगी ताकि आमजन को आदिनांक तक का राजस्व रिकार्ड प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खाताधारक को जमाबंदी की कंप्यूटरीकृत लेमिनेटेड प्रति उपलब्ध करवाई जायेगी, जिस पर लगभग 5 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।

210. प्रदेश के काश्तकारों को खेती तक पहुचनें हेतु रास्ते की लम्बे समय से चली आ रही समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करते हुये दिनांक 2 मार्च 2012 को नियम बनाकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। भू–अभिलेख निरीक्षकों को मौकों की देशान्तर व अक्षांश स्थिति को अंकित करने हेतु, जीपीएस उपकरण उपलब्ध करवाये जायेगे जिससे विवादित प्रकरणों से संबंधित मौकों को भौगोलिक दृष्टि से चिन्हित कर, क्षेत्रों का अंकन संभव हो सकेंगा।

प्रवेश कर (Goods) एवं विलासिता करः

साथ ही इन अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवहारियों की सुविधा के लिए ई–रिटर्न व ई–पेमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

240. मुझे आशा है कि इन ई–सुविधाओं के विस्तार, प्रक्रिया के सरलीकरण, उद्योग एवं व्यापार जगत के सरंक्षण तथा व्यवहारियों की सुविधाओं से संबंधित प्रस्तावों से उद्योग एवं व्यापार जगत लाभान्वित होगा।